कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या–140/16
श्रीमती नीलम देवी एवं अन्य बाईस (पंचायत–बंगरा वंशीधर, प्रखंड–कुढ़नी)
उपस्थित–श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल) तिथि–07.03.2017

–: निर्णय :–

दिनांक–11.08.2016 को परिवादी श्रीमती नीलम देवी एवं अन्य बाईस के द्वारा पंचायत राज–बंगरा वंशीधर प्रखंड–कुढ़नी द्वारा बयान दिया गया, "हमसभी आवेदक बंगरा बंशीधर पांचायत के रहनेवाले है जिसका प्रखंड कुढनी है। वहाँ की पूर्व मुखिया रेणु देवी थी और वर्तमान मुखिया मंजू देवी हैं। पूर्व पंचायत रोजगार सेवक संजीव राज था। वार्ड नं0–3 के वार्ड मेम्बर प्रमीला देवी के कहने पर हमलोगों ने दो जगह मिट्टी का काम किया : (क) नदी के पास श्मशान घाट पर मिट्टी भराई का काम तथा (ख) ढ़ोरी से बंगरा गुमटी तक नहर में से मिट्टी काट कर बाँध पर डालने का कार्य, जो पिछले साल आषाढ़ में हुआ। नदी से काटकर ट्रैक्टर से मिट्टी गिराई जाती थी, इसे हमलोग टोकरी से उठाकर डालते थे। इस सब का पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। हमलोगों का पासबुक और जॉब कार्ड ठीकेदार राकेश भगत के पास है तथा मांगने पर नहीं दे रहे हैं।"

इसके आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी, मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत राज–बंगरा वंशीधर को नोटिस जारी की गयी। इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा अपने पत्रांक–142/कुढ़नी दिनांक–30.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दोनों योजनाओं पर कार्यरत सभी मजदूरों (निर्गत मस्टर रॉल के विरूद्ध) का कार्य के बदले एफ0टी0ओ0 के माध्यम से भुगतान क़िया जा चुका है। सुलभ संकेत हेतु दोनों योजनाओं का निर्गत मस्टर रॉल के विरूद्ध भुगतान की तिथि का स्टेटमेन्ट समर्पित की जा रही है।

पुनः इस संबंध में परिवादी नीलम देवी एवं अन्य बाईस मजदूरों द्वारा दिनांक–17.10.2016 को अपने दिए गए अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि उन लोगों का जॉब कार्ड एवं पासबुक मिल गया है तथा अब किसी भी प्रकार का किसी से शिकायत नहीं है। साथ ही उनलोगों द्वारा परिवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या सभी परिवादियों का मजदूरी भुगतान हो गया है तथा क्या उनलोगों को अपना जॉब कार्ड एवं पासबुक मिल चुका है ?

–: निष्कर्ष :–

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी परिवादियों का मजदूरी भुगतान हो चुका है तथा उनलोगों का अपना जॉब कार्ड एवं पासबुक भी मिल चुका है। इस प्रकार अब आगे इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जातां है।

ह०/

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 4[illegible] / मुज0,दिनांक– 07/03/2017

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :– संबंधित परिवादी को सूचनार्थ प्रेषित।

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app...

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या–152/16 (मखदुमपुर कोदरिया, प्रखंड–मड़वन) **तिथि–03.03.2017**

उपस्थित–श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

–: निर्णय :–

दिनांक–21.10.2016 को मड़वन प्रखंड के पंचायत राज–मखदुमपुर कोदरिया में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया। इस दौरान योजना सं0–04/15–16 में 'वार्ड संख्या–05 में गणेश चौहान के घर होते हुए डा0 साकिर हुसैन के जमीन के नव सड़क में मिट्टी भराई कार्य' का स्थल निरीक्षण एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इसमें सहायक अभियंता, मड़वन द्वारा योजना संख्या 04/15–16 में 19.10.2016 को एम0बी0 पर दिए गए निर्देश का अनुपालन हुआ या नहीं इस संबंध में उनसे प्रतिवेदन की मांग की गयी। क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य में अनुपालन नहीं पाया गया। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी से भी प्रतिवेदन की मांग की गयी।

सहायक अभियंता, मड़वन ने प्रतिवेदित किया है कि उन्होंने कनीय अभियंता को Pit measurement & section measurement के अनुसार काटी गई मिट्टी एवं सड़क में भरी गई मिट्टी का आकलन करने का निदेश एम0बी0 में दिया है जिसका अनुपालन किया जाना है। इस निमित्त लिखित, मौखिक एवं दूरभाष पर भी निदेश उनके द्वारा दिया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय से भी कनीय अभियंता से अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या एम0बी0 पर दिए गए निदेश का अनुपालन कनीय अभियंता द्वारा किया गया तथा क्या भुगतान के पहले इसका अनुश्रवण कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन द्वारा किया गया ?

–: निष्कर्ष :–

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सहायक अभियंता, मड़वन द्वारा एम0बी0 पर दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु कनीय अभियंता को लिखित, मौखिक एवं दूरभाष पर भी निदेश दिया गया। इसके बावजूद भी कनीय अभियंता, मड़वन द्वारा अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन द्वारा भी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन एवं कनीय अभियंता, मड़वन लापरवाही व निर्देशों की अवहेलना के दोषी प्रतीत होते हैं।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :–

01 कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन, श्रीमती तृप्ति लाल से दंड के रूप में दस हजार रु0 उनके वेतन से काट लिया जाए।

02 कनीय अभियंता, मड़वन, श्री राम नारायण गुप्ता से दंड के रूप में पाँच हजार रु0 उनके वेतन से काट लिया जाए।

ह0/–

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 39 / मुज0,**दिनांक–** 03/03/**2017**

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

रमेन्द्र नाथ राय 3.3.17

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app…